LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Wednesday, 16 August 2023 / 25 Shraavan 1945 (*Saka*)

No. 45
11.11 AM

Smt. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker in-Chair
National Song (Vande Mataram)

1. 11.12 AM The Chair welcomed the Members and requested them to maintain decorum during the sitting. The Chair further informed the House that no business other than the business listed for the day will be taken up for discussion by the House.

2. 11.13 AM **Obituary References:**

   The House paid homage on the demise of the following :
   1. 05 Army Jawan in terror attack in District Poonch, Jammu & Kashmir on 20/04/2023.
   2. 10 District Reserve Guard personnel and their Driver in Naxalite attack in District Dantewada, Chhattisgarh on 26/04/2023.
   3. 288 persons in triple train accident at Bahanaga, Odisha on 02/06/2023.
   4. 152 persons in ethnic violence between two communities in Manipur on 03/05/2023 and 05 persons in communal clash between two communities during a religious procession in District Nuh, Haryana on 31/07/2023.
   5. Persons in Uttrakhand and Himachal Pradesh due to natural calamities namely floods and landslides.
   6. Late Shri Om Prakash Mehraulia, father of Shri Rohit Kumar Mehraulia, Hon'ble Member on 10/08/2023.
   7. Shri Bindeshwar Pathak, Sanitation activist and founder of Sulabh International on 15/08/2023.

   The House observed two minutes silence as a mark of respect to the departed souls.

3. 11.20 AM The Chair and the House greeted Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister on his birthday.

4. 11.21 AM The Chair informed the House of the letter dated 11/08/2023 addressed to Hon'ble Chief Minister by Hon'ble Lieutenant Governor regarding Summoning of the Third Part of the Fourth session, a copy of which had been endorsed to Assembly Secretariat. The Chair gave a Ruling in the matter of Re-convening the Third Part of the Fourth Session *(copy enclosed)*.

5. 11.29 AM **Special Mention (Rule-280) :**

   The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:
   1. Shri Mohan Singh Bisht
   2. Shri Ajay Mahawar
   3. Shri Rajendra Pal Gautam
   4. Shri Bhupinder Singh Joon
   5. Shri Rajesh Gupta
   6. Shri Anil Kumar Bajpai
   7. Shri Mohinder Goel
   8. Shri Gulab Singh
   9. Shri Rajesh Rishi
   10. Smt. Pramila Dhiraj Tokas
   11. Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition

6. 12.06 PM **Papers laid on the Table :**

Smt. Atishi, Hon'ble Minister of Power laid copies of the following on the Table of the House.

(i) Notification No. F. 3(679)/Tariff/DERC/2022-23/7460/26 dated 6/04/2023 regarding Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan) Regulations, 2023 (Hindi and English Version).

(ii) Notification No. F. 3(679)/Tariff/DERC/2022-23/7460/27 dated 6/04/2023 regarding Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2023 (Hindi and English Version).

(iii) Notification No. F. 3(679)/Tariff/DERC/2022-23/7460/28 dated 6/04/2023 regarding Delhi Electricity Regulatory Commission Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation (First Amendment) Regulations, 2023 (Hindi and English Version).

(iv) Corrigendum No. F. 3(679)/Tariff/DERC/2022-23/7460/172 dated 26/04/2023 regarding Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan) Regulations, 2023 (Hindi and English Version).

(v) Annual Report of Delhi Transco Limited (DTL) for the financial year 2020-21 (Hindi & English Version).

(vi) Annual Report of Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) for the financial year 2021-22 (Hindi & English Version).

7. 12.07 PM **Calling Attention (Rule-54) :**

Shri Dinesh Mohaniya, Hon'ble Member called the attention of the House towards the problems being faced by Delhi Jal Board due to non-release of funds by the Finance Department, Govt. of NCT of Delhi.

The following Members also expressed their views :

1. Shri Prakash Jarwal
2. Shri Rituraj Govind
3. Shri Girish Soni
4. Shri Ajay Mahawar
5. Shri Kartar Singh Tanwar
6. Shri Praveen Kumar
7. Shri Abhay Verma
8. Shri Kuldeep Kumar
9. Shri Shiv Charan Goel
10. Shri Mohinder Goel
11. Shri Mohan Singh Bisht
12. Shri Durgesh Kumar
13. Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition
14. Shri Sahi Ram

Shri Saurabh Bharadwaj, Hon'ble Minister of Delhi Jal Board made a statement.

The Chair, taking sense of the House, referred the matter to the Committee on Petitions. She stated that a similar matter was already before the Committee and directed that the Report of the Committee be submitted within a month.

8. 2.54 PM **The Chair adjourned the House for lunch break for one Hour.**

9. 4.17 PM **House reassembled.**

Hon'ble Deputy Speaker in-Chair.

10. 4.17 PM **Privilege Notice (Rule-66) :**

Shri Sanjeev Jha, Hon'ble Member raised a question of privilege against Officers who abruptly discontinued the DARC Fellowship Programme of the Delhi Legislative Assembly.

The following Members participated in the discussion :

1. Shri Surendra Kumar
2. Shri Rajesh Gupta
3. Shri Vinay Mishra
4. Shri Jarnail Singh
5. Shri Rajendra Pal Gautam
6. Shri Vijender Gupta
7. Shri Ajay Mahawar
8. Shri Madan Lal

Also moved a motion to refer the matter to Committee of Privileges.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

The Chair directed the Committee to submit a report in the instant matter and on a similar matter referred to the Committee earlier by the Hon'ble Speaker within a period of one month.

11. 5.47 PM **Congratulatory Motion :**

Shri Jai Bhagwan, Hon'ble Member congratulated Hon'ble Chief Minister for increasing the Circle Rate of agricultural land in Delhi and made a brief statement.

Shri Bhupinder Singh Joon, Hon'ble Member and **Shri Gulab Singh, Hon'ble Member** also expressed their views.

12. 5.58 PM **The Chair adjourned the House upto 11.00 AM on Thursday, 17 August 2023.**

Delhi
16 August, 2023

Raj Kumar
Secretary

Ruling of the Hon'ble Speaker on Reconvening the Third Part of the Fourth Session

Hon'ble Members, the Hon'ble Lieutenant Governor has written a letter to the Hon'ble Chief Minister on 11.08.2023 and a copy has been endorsed to the Assembly Secretary. The Hon'ble Lieutenant Governor has objected to the summoning of the Third Part of the Fourth Session. He is of the opinion that all the sessions should be prorogued and then convened with his approval and that there should be three sessions in a year.

Hon'ble Members would recall that a similar correspondence was also received regarding the sitting of the House held on 17.04.2023. I had given a ruling in the House and explained that the House was convened as per the Rules and statutory provisions and referred the matter to the Committee of Privileges. Moreover such part sessions are being called in the Parliament and other Legislatures also.

I would like to reiterate the position again for the benefit of the Hon'ble Members and all concerned. Under Rule 17 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Delhi Assembly, the Hon'ble Speaker has the power to call a sitting of the House ***"at any time after the House has been adjourned sine-die".*** This is the practice in all legislatures including the Lok Sabha. Rule 15 of the Lok Sabha Rules of Procedure confer similar powers on the Lok Sabha Speaker. In *Ramdas Athawale v. Union of India* matter the Hon'ble Supreme Court also upheld the validity of the proceedings of the Second Part of the session which was reconvened on 29 January 2004.

It is entirely the prerogative of the Government to prorogue and summon the House. If the Council of Ministers recommends proroguing the House then the next session is summoned with the approval of the Hon'ble Lieutenant Governor under Rule 3. If the House is not prorogued, then it is reconvened with the approval of the Speaker under Rule 17. This is the practice all over India, and this is what has been provided in the Constitution and the Assembly Rules.

The Hon'ble Lieutenant Governor has also observed that there is no indication of any legislative business proposed to be transacted during the session. Rule 15 (1) clearly states that it is the Speaker who shall decide the business of the House in consultation with the Hon'ble Chief Minister. The Hon'ble Lieutenant Governor has no role in these matters. It is also not necessary to have legislative business in all sittings. The House has been convened many times since 1993 to discuss urgent issues which affect the people of Delhi.

The Hon'ble Lieutenant Governor has made a serious allegation that the Hon'ble Speaker unilaterally decided to reconvene the Second Part of the Fourth Session instead of convening the Fifth Session in gross disregard to the cabinet decision. As mentioned earlier, because the Cabinet had not recommended for the prorogation of the House, the House was reconvened under Rule 17. Hon'ble

Lieutenant Governor should know that a new session cannot be summoned unless the Cabinet recommends it and he should avoid such baseless allegations.

The Hon'ble Lieutenant Governor has also taken an exception to the fact that the House was reconvened without a Cabinet decision and is not only inconsistent with the statutory provisions under the Transaction of Business Rules but also in violation of the spirit of Section 6 of the NCT Act read with Clause (ix) of Sub-section (4) of Section 45 J of the Government of NCT of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023.

Hon'ble Members, Section 6 states that the Hon'ble Lieutenant Governor shall from time to time, summon the Legislative Assembly. It should be noted that this can be done only on the recommendations of the Council of Minister. However this applies only to a fresh session after the previous session has been prorogued. As mentioned earlier, Under Rule 17 the House can be reconvened by the Speaker at any time if it is not prorogued. On 08.08.2023 I received a note from the Hon'ble Minister of Law & Legislative Affairs with the approval of the Hon'ble Chief Minister to reconvene the House from 16.08.2023 and this is what I have done. This is the position and practice in Lok Sabha also for reconvening part sessions.

Similarly there is no violation of Clause (ix) of Sub-section (4) of Section 45 J of the Government of NCT of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023 which has now been replaced by the Government of NCT of Delhi (Amendment) Act, 2023. This clause states that the matter of summoning and prorogation of the Legislative Assembly shall be sent to the Hon'ble Chief Minister and Hon'ble Lieutenant Governor for their opinion by the Secretary of the Government before issuing any orders. This clause pertains to summoning of new session and not a part session as in reconvening of part sessions the Hon'ble Lieutenant Governor has no role at all. Moreover it relates to orders which the Department Secretary has to issue and does not and cannot apply to the Assembly Secretariat.

The Hon'ble Lieutenant Governor also appears to be aggrieved by the fact that in Parliament and other Legislatures there are three sessions in a year viz. Budget, Monsoon and Winter Session; whereas Delhi Assembly has only one year. I would like to inform all concerned that in our Constitution or the NCT Act there are no such thing as Budget, Monsoon or Winter Sessions. These are just terms of the colonial era which are used in common parlance for easy understanding.

In conclusion I would like to state that this sitting of the House has been called in accordance with the provisions of the Constitution, the NCT of Delhi Act and the Rules of Procedure and the objections to it are bereft of any merit and based on utterly wrong interpretation of the statutes.

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
बुधवार, 16 अगस्त, 2023 / श्रावण 25, 1945 (शक)

संख्या–45

11.11 बजे श्रीमती राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुईं।

राष्ट्रीय गीत (वन्दे मातरम्)

1. 11.12 बजे उपाध्यक्ष महोदया ने सदस्यों का स्वागत किया और उनसे बैठक के दौरान मर्यादा बनाये रखने का अनुरोध किया। उपाध्यक्ष महोदया ने सदन को सूचित किया कि आज सूचीबद्ध कार्य के अतिरिक्त सदन में किसी अन्य कार्य को विचारार्थ नहीं लिया जायेगा।

2. 11.13 बजे **निधन संबंधी उल्लेख :**

सदन ने निम्नलिखित के निधन पर श्रद्धांजलि दी :–

1. दिनांक 20.04.2023 को जिला पूंछ, जम्मू एवं कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद पांच जवानों के प्रति
2. दिनांक 26.04.2023 को जिला दंतेवाड़ा, छतीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद दस जिला रिजर्व गार्ड कर्मियों और उनके ड्राईवर के प्रति
3. दिनांक 02.06.2023 को बहानागा, ओडिसा में तीन रेलों की दुर्घटना में मारे गये 288 लोगों के प्रति
4. दिनांक 03.05.2023 को मणिपुर में दो समुदायों के मध्य जातीय हिंसा में मारे गये 152 लोगों और दिनांक 31.07.2023 को जिलां नूंह, हरियाणा में धार्मिक यात्रा के दौरान दो समुदायों में हुए साम्प्रदायिक संघर्ष में 05 लोगों की मौत के प्रति
5. उतराखण्ड और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन की प्राकृतिक आपदाओं के कारण हताहत लोगों के प्रति
6. दिनांक 10.08.2023 को श्री रोहित कुमार मेहरोलिया, माननीय सदस्य के पिता स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश मेहरोलिया के निधन के प्रति
7. दिनांक 15.08.2023 को स्वच्छता कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक श्री बिंदेश्वर पाठक के निधन के प्रति

सदन ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट का मौन धारण किया।

3. 11.20 बजे उपाध्यक्ष महोदया और सदन ने श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी।

4. 11.21 बजे उपाध्यक्ष महोदया ने चौथे सत्र के तीसरे भाग का आह्वान करने के संबंध में माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र दिनांक 11.08.2023 के बारे में सूचित किया, जिसकी प्रति विधानसभा सचिवालय को भेजी गई है।

उपाध्यक्ष महोदया ने चौथे सत्र के तीसरे भाग को पुनः समवेत करने के मामले के संबंध में व्यवस्था दी। *(प्रति संलग्न)*

5. 11.29 बजे **विशेष उल्लेख (नियम–280) :**

निम्नलिखित सदस्यों ने उपाध्यक्ष महोदया की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :–

1 श्री मोहन सिंह बिष्ट
2 श्री अजय महावर
3 श्री राजेंद्रपाल गौतम
4 श्री भूपेंद्र सिंह जून
5 श्री राजेश गुप्ता
6 श्री अनिल कुमार बाजपेयी
7 श्री महेंद्र गोयल
8 श्री गुलाब सिंह
9 श्री राजेश ऋषि
10 श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
11 श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष

6. 12.06 बजे **सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात :**

श्रीमती अतिशी, माननीय ऊर्जा मंत्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत कीं :

i) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) विनियम, 2023 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग–3) में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(679)/टैरिफ/डीईआरसी/2022–23/7460/172 दिनांक 26 अप्रैल, 2023 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

ii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग–3) में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(679)/टैरिफ/डीईआरसी/2022–23/7460/27 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

iii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) विनियम, 2023 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग–3) में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(679)/टैरिफ/डीईआरसी/2022–23/7460/26 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

iv) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क कार्यान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग–3) में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(679)/टैरिफ/डीईआरसी/2022–23/7460/28 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

v) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड का वित्त वर्ष 2020–21 हेतु 20वां वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)

vi) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी)

7. 12.07 बजे **ध्यानाकर्षण (नियम–54):**

श्री दिनेश मोहनिया, माननीय सदस्य ने वित्त विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा फण्ड जारी न करने के कारण दिल्ली जल बोर्ड के सामने आ रही समस्याओं के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये :

1. श्री प्रकाश जारवाल
2. श्री ऋतुराज गोविंद
3. श्री गिरीश सोनी
4. श्री अजय महावर
5. श्री करतार सिंह तंवर
6. श्री प्रवीण कुमार
7. श्री अभय वर्मा
8. श्री कुलदीप कुमार
9. श्री शिवचरण गोयल
10. श्री महेन्द्र गोयल
11. श्री मोहन सिंह बिष्ट
12. श्री दुर्गेश कुमार
13. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष
14. श्री सही राम

श्री सौरभ भारद्वाज, माननीय दिल्ली जल बोर्ड मंत्री ने वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदया ने सदन की भावनाओं के दृष्टिगत, मामला याचिका समिति को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक मामला पहले ही समिति के पास है और उन्होंने निर्देश दिया कि समिति की रिपोर्ट एक महीने के अंदर प्रस्तुत कर दी जाये।

8. 02.54 बजे **उपाध्यक्ष महोदया ने सदन भोजनावकाश के लिए एक घण्टे तक स्थगित किया।**

9. 04.17 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**
उपाध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं।

10. 04.17 बजे **विशेषाधिकार की सूचना (नियम–66):**
श्री संजीव झा, माननीय सदस्य ने उन अधिकारियों के विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा के डीएआरसी फेलोशिप प्रोग्राम को अचानक बंद कर दिया।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :
1. श्री सुरेंद्र कुमार
2. श्री राजेश गुप्ता
3. श्री विनय मिश्रा
4. श्री जरनैल सिंह
5. श्री राजेंद्रपाल गौतम
6. श्री विजेंद्र गुप्ता
7. श्री अजय महावर
8. श्री मदन लाल

मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया।
प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।
उपाध्यक्ष महोदया ने इस मामले तथा माननीय अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गये इसी तरह के दूसरे मामले पर समिति को एक महीने की अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

11. 05.47 बजे **बधाई प्रस्तावः**
श्री जय भगवान, माननीय सदस्य ने माननीय मुख्यमंत्री को दिल्ली में कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने पर बधाई दी और संक्षिप्त वक्तव्य दिया।
श्री भूपेंद्र सिंह जून, माननीय सदस्य और श्री गुलाब सिंह, माननीय सदस्य ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

12. 05.58 बजे **उपाध्यक्ष महोदया ने सदन वीरवार, दिनांक 17 अगस्त, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित किया।**

दिल्ली
16 अगस्त, 2023

राज कुमार
सचिव

विधान सभा के चौथे सत्र के तीसरे भाग को पुन: आहूत करने के संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय सदस्यगण,

माननीय उपराज्यपाल ने 11 अगस्त 2023 को माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उसकी प्रति विधानसभा सचिव को भेजी गई है। माननीय उपराज्यपाल ने चौथे सत्र के तीसरे भाग को बुलाने पर आपत्ति जताई है। उनका विचार है कि सभी सत्रों का सत्रावसान (prorogation) कर दिया जाना चाहिए तथा फिर, उनकी अनुमति से सत्र बुलाया जाना चाहिए और एक वर्ष में तीन सत्र होने चाहिए।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि 17 अप्रैल 2023 को आयोजित सदन की बैठक के संबंध में भी इसी तरह का एक पत्र प्राप्त हुआ था। मैंने सदन में व्यवस्था दी थी और स्पष्ट किया था कि सदन, नियमों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार बुलाया गया है और उक्त मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया था। इसके अलावा संसद और अन्य विधानमंडलों में भी ऐसे आंशिक सत्र बुलाए जाते रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों और सभी संबंधितों की जानकारी के लिए इस बात को फिर से दोहराना चाहती हूँ। दिल्ली विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम-17 के तहत, अध्यक्ष के पास *"सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद किसी भी समय"* सदन की बैठक बुलाने की शक्ति है। लोकसभा सहित सभी विधानमंडलों में यही प्रथा है। लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के नियम-15 में भी लोकसभा अध्यक्ष को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। रामदास अठावले बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सत्र के दूसरे भाग की कार्यवाही की वैधता को बरकरार रखा था, जिसे 29 जनवरी 2004 को फिर से बुलाया गया था।

सदन को स्थगित करना और बुलाना, पूरी तरह से सरकार का विशेषाधिकार है। यदि मंत्रिपरिषद सदन का सत्रावसान करने की सिफारिश करती है तो अगला सत्र नियम-03 के तहत माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी के साथ बुलाया जाता है। यदि सदन का सत्रावसान नहीं किया जाता है, तो इसे नियम-17 के तहत अध्यक्ष की मंजूरी के साथ फिर से बुलाया जाता है। पूरे भारत में यही प्रथा है और संविधान तथा विधानसभा नियमों में भी यही प्रावधान किया गया है।

माननीय उपराज्यपाल ने यह भी कहा है कि सत्र के दौरान किसी भी प्रस्तावित विधायी कार्य का कोई संकेत नहीं है। मैं बताना चाहूँगी कि नियम-15 (1) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है

कि अध्यक्ष ही है, जो माननीय मुख्यमंत्री के परामर्श से सदन के कार्य का निर्णय करेंगे। इन मामलों में माननीय उपराज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। सभी बैठकों में विधायी कार्य होना भी आवश्यक नहीं है। दिल्ली के लोगों को प्रभावित करने वाले जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए वर्ष 1993 से अब तक कई बार सदन बुलाया गया है।

माननीय उपराज्यपाल ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि माननीय अध्यक्ष ने कैबिनेट के फैसले की घोर उपेक्षा करते हुए, पांचवें सत्र को बुलाने की बजाय चौथे सत्र के दूसरे भाग को फिर से बुलाने का एकतरफा फैसला किया। मैं फिर दोहराना चाहती हूँ और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि, *क्योंकि* कैबिनेट ने सदन के सत्रावसान की सिफारिश नहीं की थी, इसलिए सदन को नियम-17 के तहत फिर से बुलाया गया था। माननीय उपराज्यपाल को पता होना चाहिए कि जब तक कैबिनेट इसकी सिफारिश नहीं करती, तब तक नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता और उन्हें इस तरह के निराधार आरोप से बचना चाहिए

माननीय उपराज्यपाल ने इस तथ्य पर भी आपत्ति जताई है कि सदन को, कैबिनेट के फैसले के बिना फिर से बुलाया गया है और यह न केवल कार्य संचालन नियमों के तहत वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 की धारा 45-जे की उप-धारा (4) के खंड (ix) के साथ पढ़ा पठित एनसीटी एक्ट की धारा-6 की भावना का भी उल्लंघन है।

माननीय सदस्यगण, धारा-6 में कहा गया है कि माननीय उपराज्यपाल समय-समय पर विधान सभा को बुलाएंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसा केवल मंत्रीपरिषद की अनुशंसा पर ही किया जा सकता है। हालाँकि यह केवल पिछले सत्र के सत्रावसान होने के बाद, नए सत्र पर ही लागू होता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, नियम-17 के तहत अध्यक्ष द्वारा सदन को किसी भी समय फिर से बुलाया जा सकता है, यदि इसका सत्रावसान नहीं किया गया हो। दिनांक 08 अगस्त 2023 को मुझे माननीय विधि और विधायी मामलों के मंत्री से, सदन को 16 अगस्त 2023 से, फिर से बुलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की मंजूरी के साथ एक नोट मिला और मैंने यही किया है। लोकसभा में भी आंशिक सत्र दोबारा बुलाने की यही स्थिति और परिपाटी है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 की धारा 45-जे की उप-धारा (4) के खंड (ix) का कोई उल्लंघन नहीं है, जिसे अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस खंड में कहा गया है कि विधान सभा को बुलाने और सत्रावसान करने का मामला, कोई भी आदेश जारी करने से पहले,

सरकार के सचिव द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उपराज्यपाल को उनकी राय के लिए भेजा जाएगा। यह खंड नए सत्र को बुलाने से संबंधित है, न कि आंशिक सत्र को बुलाने से, क्योंकि आंशिक सत्र को दोबारा बुलाने में माननीय उपराज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा यह उन आदेशों से संबंधित है, जिन्हें विभाग के सचिव को जारी करना होता है और यह विधानसभा सचिवालय पर लागू नहीं होता और न ही हो सकता है।

माननीय उपराज्यपाल इस बात से भी व्यथित नजर आ रहे हैं कि संसद और अन्य विधानमंडलों में एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र; जबकि दिल्ली विधानसभा में साल में केवल एक। मैं सभी संबंधित पक्षों को सूचित करना चाहूंगी कि हमारे संविधान या एनसीटी अधिनियम में बजट, मानसून या शीतकालीन सत्र जैसी कोई चीज़ नहीं है। यह औपनिवेशिक युग की मात्र शब्दावली है, जिसका उपयोग आम बोलचाल में आसानी से समझने के लिए किया जाता है।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगी कि सदन की यह बैठक संविधान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम और प्रक्रिया नियमों के प्रावधानों के अनुसार बुलाई गई है और इस पर की गई आपत्तियाँ, पूरी तरह योग्यताहीन और क़ानून की सरासर ग़लत व्याख्या पर आधारित हैं।